

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

राजस्व लोक अदालत मुकाम मेघरास तहसील बनेड़ा

:: मूल वाद मे अन्तिम डिक्री ::

{आदेश 20 नियम 6, 7 जा0दी0}

पीठासीन अधिकारी - श्री रतनलाल रेगर
(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 50/2017

अनवान

1 केसर पिता काना पत्नि देबी चमार उम्र वयस्क निवासी हाल सालरिया तहसील बनेड़ा
जिला-भीलवाड़ा वादीया

बनाम

1 काना पिता गोकल चमार उम्र वयस्क निवासी सादास तहसील बनेड़ा जिला-भीलवाड़ा
2 राज. राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भील0 प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :- श्री कृष्ण कुमार जीनगर वकील वादीया
पेरोकार सरकार.....विपक्षी संख्या 02

दिनांक - 11.06.2018

वादीया का वादपत्र बहक वादीया विरुद्ध प्रतिवादीगण, अन्तर्गत धारा 88-89-90-188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम मेघरास पटवार हल्का क्षेत्र मेघरास भु.अ.निरीक्षक क्षेत्र बनेड़ा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा स्थित खतौनी संख्या 20 के आराजी संख्या 559, 562, 564, 606, 608, 609, 612 कुल किता 07 कुल रकबा 03-17 बीघा के राजस्व रेकार्ड में वादीया का नाम वादीया के पिता प्रतिवादी संख्या 01 के नाम के साथ साथ बतौर सहखातेदार काश्तकार अंकन कर, दुरुस्तिकरण किये जाने की स्वीकृति के साथ वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 01 दोनो को 1/2, 1/2 हक हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने के आदेश प्रदान की जाकर इस आशय की अन्तिम डिक्री पारित की जाती है। डिक्री की प्रति तहसीलदार बनेड़ा को पालनार्थ भिजवाई जावे। तहसीलदार बनेड़ा तदनुसार राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद करें। खर्चा फरिफेन अपना-अपना वहन करे।

यह डिक्री आज दिनांक 11.06.2018 को राजस्व लोक अदालत अभियान 2018 शिविर मुकाम मेघरास में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी गयी।

(रतनलाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा
जिला भीलवाड़ा